प्रेषक,

आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0,
9, जगत नारायण रोड,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त औषधि निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–एफएसडीए/जन0याचिका/2016/3882 लखनऊः दिनांकः 3 मई, 2016

विषयः–एक ही पंजीकृत फार्मेसिस्ट के नाम से संचालित हो रहे एक से अधिक औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में विचाराधीन जनहित याचिका सं0 8896(एम0बी0) ऑफ 2015 'पंकज मिश्रा बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य' में यह कहा गया है कि एक ही फार्मेसिस्ट के नाम से अनेक फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं।

इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24.11.2015, 9.12.2015, 10.3.2016 के क्रम में आप द्वारा फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की जो सूची उपलब्ध करायी गयी है उसे एक ही फाईल में मर्ज कर जो सूची तैयार की गयी है उसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक फार्मेसिस्ट का नाम एक से अधिक जनपदों के मेडिकल स्टोर्स पर प्रदर्शित हो रहा है।

अतः उक्त सूची की सॉफ्ट कॉपी ई मेल द्वारा आपको इस पत्र के साथ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि सूची में से अपने जनपद से सम्बन्धित ऐसे औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों के विवरण को अलग कर लें जिनके फार्मेसिस्ट एक से अधिक जनपदों के प्रतिष्ठानों पर कार्यरत प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे चिन्हित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की सघन जॉच प्राथमिकता पर करते हुये फार्मेसिस्ट का भौतिक सत्यापन करें तथा जो प्रतिष्ठान बिना फार्मेसिस्ट के संचालित पाये जाते हैं उनके लाइसेंस को नियमानुसार निरस्त कर कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें।

यहॉ यह भी अवगत कराना है जिस संख्या में फुटकर औषधि विक्रय प्रतिष्ठान प्रदेश में मासिक सूचना के अनुसार हैं उतनी संख्या आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में उपलब्ध नहीं है जिससे स्पष्ट है कि आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची अद्यतन नहीं है। अनेक औषधि निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची प्रेषित प्रारूप के अनुसार नहीं है जिसके कारण प्रदेश की सूची को एक ही फाईल में संकलित करना अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न करता है।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार Excel sheet पर निम्नलिखित प्रारूप पर Arial Narrow Font 10size उपयोग करते हुये 30 अप्रैल, 2016 तक की अद्यतन फुटकर विक्रय प्रतिष्ठानों की सूची इस कार्यालय को उपलब्ध करायें–

S.No.	Name and address of licensee	Licence No.	Type of licence (retail)	Name of Qualified Person/Regd Pharmacist	Registration No.	Validity of licence upto
1	2	3	4	5	6	7

उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप पर प्रेषित विवरण स्वीकार्य न होगा।

संलग्नकः प्रदेश के फुटकर विक्रय
प्रतिष्ठानों की सूची की
सॉफ्ट कॉपी।

भवदीय,

3.5.2016

(राम अरज मौर्य)
अपर आयुक्त (प्रशासन)

पृष्ठांकन सं0——एफएसडीए / जन0याचिका / 2016 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2. समस्त सहायक आयुक्त (औषधि), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित है उक्त जनहित याचिका से सम्बन्धित जितने भी आदेश जारी किये गये हैं उन पर अपने मण्डल के समस्त औषधि निरीक्षकों द्वारा की गयी कार्यवाही की समय—समय पर समीक्षा करते हुये अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(राम अरज मौर्य)
अपर आयुक्त (प्रशासन)